छत्तीसगढ़ विधान सभा		
पत्रक भाग - एक संक्षिप्त कार्य विवरण		
पंचम विधान सभा	सप्तदश सत्र	अंक-02

रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023

(आषाढ़ 28, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन की सदन को सूचना

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल में आंशिक फेरबदल एवं श्री टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री के साथ-साथ ऊर्जा विभाग, श्री ताम्रध्वज साहू को कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, श्री रविन्द्र चौबे को स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने तथा श्री मोहन मरकाम को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास का प्रभार दिये जाने के संबंध में सदन को अवगत कराया गया ।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01,

3. डॉ. खूबचंद बघेल जयंती का उल्लेख

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने आज 19 जुलाई, को डॉ. खूबचंद बघेल जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उनका नमन किया ।

4. प्रश्नकाल (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या 02, 03, 04, 05, 06, एवं 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5.बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16,

(2) श्री रविन्द्र चौबे, पशुपालन विकास मंत्री ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (क्रमांक 52 सन् 1984) की धारा 65 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 8-78/35/2022, दिनांक 29 मार्च, 2023,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 07-24/2018/32, दिनांक 2 मई, 2023,

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 7-58/2018/26, दिनांक 16 मई, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023, तथा

(5) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 4-7/सात-1/2022, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आवंटित कृषि भूमि के भूमिस्वामी अधिकार नियम, 2023,

पटल पर रखे ।

7. मार्च, 2023 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

मानानीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार मार्च, 2023 सत्र का दिनांक 23 मार्च, 2023 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 24 मार्च, 2023 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

8. मार्च, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार मार्च, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

9. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2023 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन मार्च, 2023 सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

10. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के जुलाई, 2022 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर, दिसम्बर, 2022- जनवरी, 2023 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से शेष बचे 4 विधेयकों में से 2 विधेयकों पर तथा मार्च, 2023 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से सभी 10 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

11.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(4) श्री सौरभ सिंह

(5) श्री बघेल लखेश्वर

12. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2022 के लिए चयनित "उत्कृष्ट विधायक", "उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" एवं "उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर" तथा पंचम विधानसभा की कालावधि हेतु सर्वश्रेष्ठ संसदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु चयनित "जागरूक विधायक" को पुरस्कृत करने हेतु "उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" माननीय राज्यपाल महोदय श्री विश्व भूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में शनिवार, दिनांक 22 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विधानसभा परिसर स्थित लॉन में आयोजित है। इस आयोजन के ठीक पश्चात पंचम विधानसभा की कालावधि की समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में समस्त माननीय सदस्यों हेतु विदाई समारोह भी आयोजित है, जिसमें समस्त माननीय सदस्यों को माननीय राज्यपाल महोदय के कर-कमलों से स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे।

"उत्कृष्टता अलंकरण एवं विदाई समारोह" का समापन सांस्कृति कार्यक्रम एवं दोपहर भोज से होगा। मैं समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण को सादर आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि उसमें अवश्य भाग लें।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

13.व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर में यह आया है कि "जानकारी एकत्र की जा रही है ।" नियम में यह है कि यदि निश्चित तिथि में उत्तर नहीं दिया जाए तो प्रश्नों के उत्तर को अगले सत्र के प्रथम दिन पटल में रखा जायेगा । चूंकि यह पंचम विधान सभा का आखरी सत्र है । प्रश्नों के उत्तर व्यपगत नहीं होने चाहिए। ये लोक महत्व के विषय हैं । अत: नियम में संशोधन करके या तो आखरी दिन तक

उत्तर दिलवा दें या कोई तिथि निर्धारित कर दें, जिसमें "जानकारी एकत्र की जा रही है", उसका उत्तर मिल जाए।

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक एवं शिवरतन शर्मा, सदस्य ने भी इस पर विचार व्यक्त किये ।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी के द्वारा इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्रीगणों से यह अपेक्षा करूंगा कि ऐसे प्रश्नों की सूचनाएं, जो स्वीकृत होकर विभाग को उत्तर हेतु भेजी जा चुकी है और जिसके अंतरिम उत्तर प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित होते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर उसी सत्रावधि में ही उपलब्ध करावें ताकि माननीय सदस्यों को यथासमय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें ।

14.पृच्छा

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रजनीश कुमार सिंह, एवं श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य द्वारा रेत माफिया के द्वारा अवैध रेत उत्खनन के कारण उत्पन्न स्थिति एवं इसके कारण हुई अकारण मौतों को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया ।

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, सदस्य एवं श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी नौकरियों में सेवारत सेवकों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.42 बजे स्थगित की जाकर 1.01 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

15. वक्तव्य

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनने के पश्चात् प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को मैं अग्राह्य करता हूं।

16. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ .कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

17. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

18. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री चंदन कश्यप, सदस्य ने नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बस्तर के लघु वनोपज सहकारी समिति बनियागांव के प्रबंधक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने मुंगेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों की सड़कें जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

19. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(3) श्री पुन्नूलाल मोहले

(4) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

20. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 86, जगदलपुर से निर्वाचित सदस्य श्री रेखचंद जैन द्वारा जुलाई, 2023 सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

21. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति का एक सौ उनतीसवां से एक सौ चालीसवां तक (12) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

(2) श्री अरूण वोरा, सभापति, याचिका समिति ने समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ।

22. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) श्री चंदन कश्यप

(3) श्री धरमलाल कौशिक

23. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023 की तिथि निर्धारित की ।

24. मंत्रि-मण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मेरे पास मंत्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यों तथा दूसरी सूचना श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य की ओर से प्राप्त हुई है। श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यों की ओर से प्राप्त पहली सूचना को मैं पढ़कर सुनाता हूं ।

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है ।"

पहली सूचना के पक्ष में दशांश सदस्य खड़े होने की स्थिति में दूसरी सूचना को नहीं ली जायेगी ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जाएं ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

"चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं अनुमति देता हूं।"

माननीय अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु गुरूवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023 को शासकीय कार्य सपन्न होने के तत्काल पश्चात से सायं 5.30 बजे तक तथा शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई, 2023 को मध्याह्न 12.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक का समय निर्धारित किया।

25. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पुर: स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पुर: स्थापित किया ।

(3) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023)

श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पुर: स्थापित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने अनुपूरक अनुमान के पुर:स्थापन एवं इस पर तुरंत चर्चा कराये जाने पर आपत्ति व्यक्त की ।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 1.40 बजे स्थगित की जाकर 1.58 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

26. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छ: हजार इकतीस करोड़, पचहत्तर लाख, दो हजार, नौ सौ सतहत्तर रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

27. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नवीन योजना " **क्रमांक-7038-मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)**" के स्थान पर " **क्रमांक-7038-आवास न्याय योजना (ग्रामीण)**" संशोधित कर पढ़ा जाये ।

28. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

29.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि अनुपूरक का उपस्थापन एवं उस पर चर्चा एक ही दिन में नहीं होती । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अनुपूरक का उपस्थापन एवं उस पर चर्चा एक ही दिन में कराये जाने के पूर्व उदाहरण हैं । चतुर्थ विधानसभा में दिनांक 2 मार्च, 2016 को, दिनांक 03 मार्च, 2017 को तथा 22 सितम्बर, 2017 को अनुपूरक का उपस्थापन और उस पर चर्चा हो चुकी है।

30. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, सौरभ सिंह, राजमन वेंजाम, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री अरूण वोरा, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित पद क्रमांक 16 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

31. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 5.44 बजे विधान सभा की कार्यवाही, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023 (आषाढ़-29, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा